समाहरणालय, किशनगंज

(बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अधिहरित वाहन की सार्वजनिक नीलामी)

:: वाहन नीलामी हेतु आम सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबन्दी के उपरांत शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त वाहन को समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, किशनगंज के द्वारा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन अधिहरित किया गया है, जिसे सार्वजनिक निलामी द्वारा बिक्री किया जाना राजहित में आवश्यक है। तद् आलोक में निम्नलिखित वाहन/वाहनों की निलामी "जो है, जहाँ है, जैसा है," उसी स्वरूप के आधार पर अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा **दिनांक** 15/6/2021 को 10:30 Am में **डी0आर0डी0ए0 रचना भवन, किशनगंज** में की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने की स्थिति में सदृश नीलामी अगले कार्य दिवस को की जा सकेगी।

नीलामी हेतु अधिहरित वाहनों की सूची :–

क्र0	अधिहरण वाद सं0	परिसर जहाँ वाहन सुरक्षित रखा गया है	उत्पाद/थाना काण्ड सं0	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या	अधिहरित वाहन का पुनः न्यूनतम निर्धारित मूल्य	अग्रधन की राशि (10प्रतिशत)
1	2	3		4	5	6	7
1	29/2017	कोचाधामन थाना	21/17	मोटरसाईकिल	BR38A-1761	4000	400
2	211/2019	दिघलबैंक थाना	139/19	मोटरसाईकिल	BR38N-3772	7000	700
3	358/17-18	किशनगंज थाना	96/17	टाटा सफारी कार	BP80AK-0005	280000	28000
4	358/17-18	किशनगंज थाना	96/17	सुमो भिक्टा	DL7CJ-3581	110000	11000
5	251/18-19	किशनगंज थाना	587/17	स्कॉर्पियो	DL3CA-0994	150000	15000
6	142/18-19	किशनगंज थाना	290/18	मोटरसाईकिल	BR37B-4226	8000	800
7	377/18-19	किशनगंज थाना	91/19	ट्रक	BR21D-4391	800000	80000
8	377/18-19	किशनगंज थाना	91/19	ट्रक	BR21G-9691	1000000	100000
9	18/2016	ठाकुरगंज थाना	91/16	मोटरसाईकिल	Hero Honda CD Dawn	3000	300
10	362/16-17 34/16-17	ठाकुरगंज थाना	47/16	ट्रक	WB11C-5950	550000	55000
11	33/18-19	ठाकुरगंज थाना	34/18	मोटरसाईकिल	WB74K-1700	8000	800
12	107/18-19	बहादुरगंज थाना	81/18	सुमो गोल्ड	EXNO.20A-3313	100000	10000
13	279/18-19	बहादुरगंज थाना	151/18	ईको	BR06AR-8043	100000	10000
14	59/2019	बहादुरगंज थाना	76/19	मारूति कार	BR37N-3076	200000	20000
15	95/18-19	पौआखाली थाना	53/17	मोटरसाईकिल	CH-01J20C03296	8000	800
16	06/ 2016	उत्पाद कार्यालय	CC-649/16	ई–रिक्शा	NPD No.678/2016-17	10000	1000
17	04/17-18	उत्पाद कार्यालय	CC-29/17	पिकअप वैन	BR07-GA-0615	100000	10000
18	09/ 2017	उत्पाद कार्यालय	CC-50/17	मोटरसाईकिल	JH09B-7525	4000	400
19	12/2017	उत्पाद कार्यालय	CC-105/17	मोटरसाईकिल	BR37D-4358	20000	2000
20	14/2017	उत्पाद कार्यालय	JJB-50/17	ई–रिक्शा	NPD No.645/2016-17	12000	1200
21	11 /2017	उत्पाद कार्यालय	CC-149/16	ई–रिक्शा	NPD.No.317/16	12000	1200
22	348/18-19	उत्पाद कार्यालय	CI-1193/17	टैंकर	BR1G-5824	90000	9000
23	17/2016	उत्पाद कार्यालय	CC-427/16	हुन्डाई स्केला कार	WB62E-5151	300000	30000
24	14/16-17	उत्पाद कार्यालय	CC-409/16	बोलेरो	WB60J-1453	125000	12500
25	300/18-19	उत्पाद कार्यालय	PR-57/18-19	स्कोडा	DL3DBL-7272	100000	10000

8

निलामी हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. खुली नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि (निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत) खुली नीलामी के दो दिन पूर्व तक किसी कार्य दिवस को अधीक्षक उत्पाद किशनगंज कार्यालय में नगद के रूप में जमा करना होगा।
2. इच्छुक व्यक्ति प्रत्येक कार्य दिवस को संबंधित वर्णित वाहनों को उत्पाद अधीक्षक कार्यालय परिसर तथा संबंधित थाना परिसर में जाकर (कॉलम संख्या-3) देख सकते हैं।
3. उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 6 में अंकित राशि को वाहन का निर्धारित मूल्य माना गया है। निर्धारित मूल्य से कम की बोली लगाने की खुली नीलामी में अनुमति नहीं होगी।
4. वाहनों की खुली नीलामी की प्रक्रिया बारी-बारी से होगी, अर्थात 01 वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दुसरे वाहन की नीलामी की जायेगी।
5. खुली नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक **"ए"** में घोषणा नोटरी शपथ-पत्र के रूप में जमा करना होगा। अनुलग्नक **"ए"** में भरा हुआ घोषणा पत्र एवं अग्रधन जमा करने की **अंतिम तिथि** 14.06.2021 को कार्यालय अवधि समाप्ति तक होगी, जिसे अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, किशनगंज में जमा किया जायेगा। एक से अधिक वाहन के लिए बोली लगाने की स्थिति में प्रति वाहन अग्रधन जमा करना होगा।
6. खुली नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
7. खुली नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो छः महिना पुराना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. खुली नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर दूसरी उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को सफल माना जायेगा।
9. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुस्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में के अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
10. यह माना जायेगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्त्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
11. खुली नीलामी में समाहरणालय अथवा इस से संलग्न कार्यालय/इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय अथवा इससे संलग्न थाना/कार्यालय के कर्मी/पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मी भाग नहीं लेगें। ऐसा पाये जाने पर उनका दावा अमान्य कर दिया जायेगा।
12. नीलामीकर्त्ता सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत करेगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए नीलामीकर्त्ता बाध्य नहीं होगा तथा वाहन को सभी प्रकार के भार (Free of all encumbrances) से मुक्त मानते हुए नीलामी की जाएगी।
13. खुली नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा तथा खुली नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

14. अपने विवेक से बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी कि प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय नीलामी कर्त्ता सुरक्षित रखता है, तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

15. इसकी विस्तृत घोषणा पत्र/प्रपत्र की जानकारी जिला के वेबसाईट **kishanganj.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। कार्य दिवस में वाहन का अवलोकन वाहन भंडारण स्थल पर अथवा नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु उत्पाद अधीक्षक, किशनगंज **(मो0नं0 9473400695/9473400634)** से सम्पर्क किया जा सकता है।

24/5/2021

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता
किशनगंज।